

शिक्षा मंत्रालय
मांग संख्या 25
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	103325.02	0.45	103325.47	127874.34	0.76	127875.10	122233.53	0.27	122233.80	142695.30	0.80	142696.10
<i>वसूलियां</i>	-35353.19	...	-35353.19	-54867.00	...	-54867.00	-54662.60	...	-54662.60	-64124.00	...	-64124.00
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	67971.83	0.45	67972.28	73007.34	0.76	73008.10	67570.93	0.27	67571.20	78571.30	0.80	78572.10
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	37.25	0.45	37.70	54.26	0.76	55.02	47.93	0.27	48.20	51.71	0.80	52.51
2. प्रौढ शिक्षा निदेशालय	1.97	...	1.97	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	39.22	0.45	39.67	54.27	0.76	55.03	47.94	0.27	48.21	51.72	0.80	52.52
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
3. प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम (ध्रुव)	0.01	...	0.01	7.50	...	7.50	55.00	...	55.00
4. <i>नेशनल मीन्स कम मैरिट स्कोलरशिप स्कीम</i>												
4.01 नेशनल मीन्स कम मैरिट स्कोलरशिप स्कीम	313.11	...	313.11	377.00	...	377.00	352.60	...	352.60	374.00	...	374.00
4.02 मस्क-छात्रवृत्ति को अंतरण	377.00	...	377.00	352.60	...	352.60	374.00	...	374.00
4.03 मस्क-छात्रवृत्ति से पूरी की गई राशि	-377.00	...	-377.00	-352.60	...	-352.60	-374.00	...	-374.00
<i>निवल</i>	<i>313.11</i>	<i>...</i>	<i>313.11</i>	<i>377.00</i>	<i>...</i>	<i>377.00</i>	<i>352.60</i>	<i>...</i>	<i>352.60</i>	<i>374.00</i>	<i>...</i>	<i>374.00</i>
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	313.11	...	313.11	377.01	...	377.01	360.10	...	360.10	429.00	...	429.00
केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
5. <i>केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)</i>												
5.01 केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)	8500.00	...	8500.00	9302.67	...	9302.67	8727.00	...	8727.00	9503.84	...	9503.84
5.02 मस्क-केवीएस को अंतरण	2000.00	...	2000.00	4500.00	...	4500.00	5000.00	...	5000.00
5.03 मस्क-केवीएस से पूरी की गई राशि	-2000.00	...	-2000.00	-4500.00	...	-4500.00	-5000.00	...	-5000.00
<i>निवल</i>	<i>8500.00</i>	<i>...</i>	<i>8500.00</i>	<i>9302.67</i>	<i>...</i>	<i>9302.67</i>	<i>8727.00</i>	<i>...</i>	<i>8727.00</i>	<i>9503.84</i>	<i>...</i>	<i>9503.84</i>
6. <i>नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)</i>												
6.01 नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)	5469.80	...	5469.80	5800.00	...	5800.00	5370.79	...	5370.79	5305.23	...	5305.23

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
6.02 मस्क-एनवीएस को अंतरण	3000.00	...	3000.00	2800.00	...	2800.00	5000.00	...	5000.00
6.03 मस्क-एनवीएस से पूरी की गई राशि	-3000.00	...	-3000.00	-2800.00	...	-2800.00	-5000.00	...	-5000.00
<i>निवल</i>	<i>5469.80</i>	...	<i>5469.80</i>	<i>5800.00</i>	...	<i>5800.00</i>	<i>5370.79</i>	...	<i>5370.79</i>	<i>5305.23</i>	...	<i>5305.23</i>
7. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)	342.97	...	342.97	510.00	...	510.00	560.77	...	560.77	593.71	...	593.71
8. राष्ट्रीय बाल भवन	19.04	...	19.04	26.00	...	26.00	24.33	...	24.33	27.80	...	27.80
जोड़-स्वायत्त निकाय	14331.81	...	14331.81	15638.67	...	15638.67	14682.89	...	14682.89	15430.58	...	15430.58
अन्य												
9. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष को अंतरण	17000.00	...	17000.00
10. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी की गई राशि	-6000.00	...	-6000.00
जोड़-अन्य	11000.00	...	11000.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	25331.81	...	25331.81	15638.67	...	15638.67	14682.89	...	14682.89	15430.58	...	15430.58
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
राष्ट्रीय शिक्षा मिशन												
<i>11. समग्र शिक्षा</i>												
11.01 समग्र शिक्षा (एसएस) को सहायता	32829.70	...	32829.70	37499.99	...	37499.99	37009.99	...	37009.99	41249.98	...	41249.98
11.02 ईएपी घटक	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.02	...	0.02
11.03 मस्क - एसएस को अंतरण	6000.00	...	6000.00	5010.00	...	5010.00	6250.00	...	6250.00
11.04 मस्क - एसएस से पूरी की गई राशि	-6490.00	...	-6490.00	-5010.00	...	-5010.00	-6250.00	...	-6250.00
11.05 पीएसके-एसएस को अंतरण	31000.00	...	31000.00	32000.00	...	32000.00	35000.00	...	35000.00
11.06 पीएसके-एसएस से पूरी की गई राशि	-31000.00	...	-31000.00	-32000.00	...	-32000.00	-35000.00	...	-35000.00
<i>निवल</i>	<i>32829.70</i>	...	<i>32829.70</i>	<i>37010.00</i>	...	<i>37010.00</i>	<i>37010.00</i>	...	<i>37010.00</i>	<i>41250.00</i>	...	<i>41250.00</i>
<i>12. प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)</i>												
12.01 पीएम पोषण को सहायता	8457.73	...	8457.73	12467.39	...	12467.39	10000.00	...	10000.00	12500.00	...	12500.00
12.02 पीएसके-पीएमपी को अंतरण	12000.00	...	12000.00	10000.00	...	10000.00	12500.00	...	12500.00
12.03 पीएसके से पूरी की गई राशि	-12000.00	...	-12000.00	-10000.00	...	-10000.00	-12500.00	...	-12500.00
<i>निवल</i>	<i>8457.73</i>	...	<i>8457.73</i>	<i>12467.39</i>	...	<i>12467.39</i>	<i>10000.00</i>	...	<i>10000.00</i>	<i>12500.00</i>	...	<i>12500.00</i>
13. राज्यों के लिए शिक्षण-ज्ञान अर्जन और परिणाम सुदृढीकरण (स्टार्स)	699.47	...	699.47	1250.00	...	1250.00	850.00	...	850.00	1250.00	...	1250.00
14. प्रधान मंत्री राइजिंग इंडिया स्कूल (पीएम श्री)	1214.68	...	1214.68	6050.00	...	6050.00	4500.00	...	4500.00	7500.00	...	7500.00
15. नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी)	39.30	...	39.30	160.00	...	160.00	120.00	...	120.00	160.00	...	160.00
16. प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) को अंतरण	28400.00	...	28400.00
17. प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) से पूरी की गई राशि	-28400.00	...	-28400.00
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	43240.88	...	43240.88	56937.39	...	56937.39	52480.00	...	52480.00	62660.00	...	62660.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
18. वास्तविक वसूलियां	-953.19	...	-953.19
कुल जोड़	67971.83	0.45	67972.28	73007.34	0.76	73008.10	67570.93	0.27	67571.20	78571.30	0.80	78572.10
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. सामान्य शिक्षा	26187.52	...	26187.52	17431.83	...	17431.83	16592.24	...	16592.24	17325.32	...	17325.32
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	37.23	...	37.23	54.26	...	54.26	47.93	...	47.93	51.71	...	51.71
3. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.45	0.45	...	0.76	0.76	...	0.27	0.27	...	0.80	0.80
जोड़-सामाजिक सेवाएं	26224.75	0.45	26225.20	17486.09	0.76	17486.85	16640.17	0.27	16640.44	17377.03	0.80	17377.83
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	7029.63	...	7029.63	6599.16	...	6599.16	7497.45	...	7497.45
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	40441.72	...	40441.72	46315.76	...	46315.76	42311.25	...	42311.25	51505.21	...	51505.21
6. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	1305.36	...	1305.36	2175.86	...	2175.86	2020.35	...	2020.35	2191.61	...	2191.61
जोड़-अन्य	41747.08	...	41747.08	55521.25	...	55521.25	50930.76	...	50930.76	61194.27	...	61194.27
कुल जोड़	67971.83	0.45	67972.28	73007.34	0.76	73008.10	67570.93	0.27	67571.20	78571.30	0.80	78572.10

1. **सचिवालय:** इसमें विभाग के सचिवालय व्यय का प्रावधान होता है।

2. **प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय:** प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (डीएई) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। इस निदेशालय की स्थापना देश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों को शैक्षणिक और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के तहत प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में की गई थी।

3. **प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम (ध्रुव):** यह योजना चयनित प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित/ प्रमुख व्यक्तियों से मार्गदर्शन कराने की एक पहल है।

4. **नेशनल मीन्स कम मैरिट स्कोलरशिप स्कीम:** नेशनल मीन्स कम मैरिट स्कोलरशिप स्कीम की शुरुआत वर्ष 2008 में 6000 रुपए प्रति वर्ष (500 रुपए प्रति माह) की एक लाख छात्रवृत्ति कक्षा IX के स्तर से कक्षा XII तक पात्रता पूरा किए जाने के अध्येक्षी प्रदान किए जाने के लिए की गई थी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है जिससे उनको कक्षा VIII में स्कूल छोड़ने से रोका जा सके और उनको उच्च माध्यमिक स्तर अर्थात् कक्षा XII तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

5. **केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस):** केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना वर्ष 1965 में एक पंजीकृत निकाय के रूप में की गई थी, सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित, स्थापित, नियंत्रित और प्रबंधित केन्द्रीय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के स्थानांतरित होने वाले कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है।

6. **नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस):** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) -1986 के अनुसरण में (1992 में यथा संशोधित) आवासीय स्कूलों की स्थापना के लिए जहां ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान बच्चों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जा सके, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में देश के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) की स्थापना की गई थी। ये जेएनवी एक स्वायत्त संगठन, नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) द्वारा चलाए जाते हैं, सोसाइटी पंजीरण अधिनियम 1960 के अंतर्गत जिसकी स्थापना 1986 में नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) है।

7. **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी):** राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की स्थापना, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1961 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षा विभागों को शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (एनसीएफ) को अंतिम रूप देने सहित उनकी नीतियों और प्रमुख कार्यक्रमों को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के लिए, विशेषकर स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता युक्त सुधार लाने हेतु सलाह तथा सहायता देने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।

8. **राष्ट्रीय बाल भवन:** राष्ट्रीय बाल भवन (एनबीवी), नई दिल्ली की स्थापना भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की पहल पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 1956 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी जो शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित है। राष्ट्रीय बाल भवन 5-16 वर्षों के आयु वर्ग के बच्चों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों में सृजनात्मकता हासिल करने की दिशा में अपना योगदान करता आ रहा है।

11. **समग्र शिक्षा:** सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाने की पूर्ववर्ती योजनाओं को मिलाकर समग्र शिक्षा योजना बनाई गई है। इस विलय का उद्देश्य स्कूली शिक्षा को समग्र दृष्टिकोण देना है। इस योजना के तहत आवंटन में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय माहाभियान (पी एम-जनमन) के लिए संशोधित अनुमान 2024-25 में 489.17 करोड़ रुपये और बजट अनुमान 2025-26 में 538.11 करोड़ रुपये शामिल है। इसी तरह इस योजना के तहत आवंटन में धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए संशोधित अनुमान 2024-25 में 203.13 करोड़ रुपये और बजट अनुमान 2025-26 में 688.00 करोड़ रुपये शामिल है।

12. **प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण):** प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम - पोषण) जिसे पहले स्कूलों में मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में जाना जाता था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य पात्र स्कूलों में कक्षा I-VIII में पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना है।

13. **राज्यों के लिए शिक्षण-ज्ञान अर्जन और परिणाम सुदृढीकरण (स्टार्स):** राज्यों के लिए शिक्षण - ज्ञान अर्जन और परिणामों का सुदृढीकरण (स्टार्स) परियोजना का उद्देश्य राज्यों को ऐसी पहल विकसित, कार्यान्वित करने, उनका मूल्यांकन करने और उनमें सुधार लाने में सहायता पहुंचाना है, जिसका सीधा संबंध शिक्षा परिणामों और श्रम बाजार परिणामों को बेहतर बनाने के लिए विद्यालय द्वारा परिवर्तनशील कार्यनीतियों पर कार्य करने से है। स्टार्स परियोजना का समग्र ध्यान और इसके घटक गुणवत्ता आधारित ज्ञान अर्जन परिणामों के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप हैं।

14. **प्रधान मंत्री राइजिंग इंडिया स्कूल (पीएम श्री):** पीएम श्री योजना पूर्व में एग्जाम्प्लर के नाम से जानी जाती थी जिसका उद्देश्य 15000 से ज्यादा उत्कृष्ट स्कूल तैयार करना है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन करने में और समय बीतने के साथ-साथ एग्जाम्प्लर और उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में उभरने में मदद करती है। वे न्यायोचित, समावेशी और हर्षमय स्कूली वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए नेतृत्व प्रदान करेंगे, जो विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और भिन्न शैक्षणिक क्षमताओं वाले बच्चों का ध्यान रखेंगे और उन्हें एनईपी 2020 के वीजन के अनुसार स्वयं सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय प्रतिभागी बनाएंगी।

15. **नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी):** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की 'प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन शिक्षा' संबंधी सिफारिशों के साथ संरेखित करके वित्तीय वर्ष 2022-27 के लिए 'नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी)/ उल्लास ' प्रौढ़ शिक्षा की एक नई केंद्र प्रायोजित योजना है।